पैन 2.0 परियोजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1

पैन 2.0 क्या है?

पैन 2.0 परियोजना आयकर विभाग की एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार कर नवीनतम तकनीक द्वारा पैन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके तहत आयकर विभाग पैन आवंटन/अद्यतन और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित कर रहा है। टैन से संबंधित सेवाओं को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन प्रमाणीकरण/सत्यापन उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों आदि को प्रदान किया जाएगा।

प्रश्न 2

पैन 2.0 मौजूदा व्यवस्था से किस तरह अलग होगा?

i. **प्लेटफॉर्म का एकीकरण:** वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग-अलग पोर्टल (ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल) पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन से संबंधित सेवाएं आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएंगी। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अपडेशन, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार-पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए अनुरोध आदि को होस्ट करेगा।
ii. **कागज रहित प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग:** प्रचलित पद्धति के विपरीत पूर्णतः ऑनलाइन कागज रहित प्रक्रिया।
iii. **करदाता सुविधा:** पैन का आवंटन/अपडेशन/सुधार निःशुल्क किया जाएगा तथा ई-पैन पंजीकृत मेल आईडी पर भेजा जाएगा। भौतिक पैन कार्ड के लिए, आवेदक को 50 रुपये (घरेलू) के निर्धारित शुल्क के साथ अनुरोध करना होगा। भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिए, आवेदक से 15 रुपये + वास्तविक भारतीय डाक शुल्क लिया जाएगा।

प्रश्न 3

(i) मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली के तहत नए पैन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा?

(ii) क्या आपको अपना पैन नंबर बदलने की आवश्यकता है?

नहीं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली (पैन 2.0) के अंतर्गत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 4

क्या लोगों के पास पैन में नाम, स्पेलिंग, पता परिवर्तन आदि में सुधार करवाने का विकल्प है?

हां। यदि मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार/अपडेट करना चाहते हैं, तो वे पैन 2.0 परियोजना शुरू होने पर ऐसा निःशुल्क कर सकते हैं। जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं हो जाती, तब तक पैन धारक नीचे दिए गए URL पर जाकर ईमेल, मोबाइल और पते में अपडेशन/सुधार के लिए आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं:

i. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html
ii. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange

पैन विवरण के अद्यतन/सुधार के किसी भी अन्य मामले में, धारक मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग करके या तो भौतिक केंद्रों पर जाकर या भुगतान के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करके ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न 5

क्या मुझे पैन 2.0 के तहत अपना पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता है?

नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई अपडेट/सुधार नहीं चाहते। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे।

प्रश्न 6

(i) बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और उनका पुराना पता ही जारी है। नया पैन कार्ड कैसे डिलीवर किया जाएगा?

(ii) नया पैन कार्ड कब तक डिलीवर किया जाएगा?

जब तक पैन धारक अपने मौजूदा पैन में किसी भी अपडेट/सुधार के लिए अनुरोध नहीं करता, तब तक कोई नया पैन कार्ड वितरित नहीं किया जाएगा। जो पैन धारक पुराने पते को अपडेट करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए URL पर जाकर आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके निःशुल्क ऐसा कर सकते हैं:

i. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange
ii. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html

तदनुसार, पता पैन डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा।

प्रश्न 7

(i) यदि नए पैन कार्ड क्यूआर कोड सक्षम हैं, तो क्या पुराने कार्ड वैसे ही काम करते रहेंगे?

(ii) क्यूआर कोड हमारी क्या मदद करेगा?

(i) क्यूआर कोड नई सुविधा नहीं है, इसे 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत संवर्द्धन (डायनेमिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा) के साथ जारी रखा जाएगा। बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड वाले पैन धारकों के पास मौजूदा पैन 1.0 इको-सिस्टम के साथ-साथ पैन 2.0 में क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है।

(ii) क्यूआर कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है।

(iii) वर्तमान में, क्यूआर कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लिकेशन उपलब्ध है। रीडर एप्लिकेशन को पढ़ने पर, पूरा विवरण, यानी फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम / माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होती है।

प्रश्न 8

"निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों के लिए सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता" क्या है?

केंद्रीय बजट 2023 में यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन रखना आवश्यक है, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न 9

क्या कॉमन बिजनेस पहचानकर्ता मौजूदा विशिष्ट करदाता पहचान संख्या यानी पैन की जगह लेगा?

नहीं। पैन का ही कॉमन बिजनेस पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा।

प्रश्न 10

"एकीकृत पोर्टल" का क्या अर्थ है?

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन से संबंधित सेवाएँ आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएँगी। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अद्यतनीकरण, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार-पैन

लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए अनुरोध आदि को होस्ट करेगा, जिससे प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जा सकेगा और आवेदन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों (ऑनलाइन ईकेवाईसी/ऑनलाइन पेपर मोड/ऑफलाइन) की उपस्थिति के कारण पैन सेवाओं की डिलीवरी में देरी, शिकायतों के निवारण में देरी आदि से बचा जा सकेगा।

प्रश्न 11

एक से अधिक पैन रखने वाले लोगों के लिए, आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएँगे?

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन रखता है, तो उसे क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाना होगा और अतिरिक्त पैन को हटाना/निष्क्रिय करवाना होगा।
पैन 2.0 में, पैन के लिए संभावित डुप्लिकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लिकेट को हल करने के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा।